20/C

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।

E-Mail- eepwdthatyur@rediffmail.com Phone & Fax:- 01376-246321

पत्रांक / दिनांक / /2017

कार्यालय – ज्ञाप

जनपद टिहरी में नैनबाग एक्सचेज से पन्तवाडी – ऐन्दी – बनचौरा मोटर मार्ग के किमी0 00.00 से 37.30 किमी0 तक ओ0एफ0सी0 लाईन बिछाने हेतु दिनांक 17.05.2017 व 18.05.2017 को भारत संचार निगम लिमि0 व वन विभाग एवं राजस्व विभाग तथा इस विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त इस कार्यालय के पत्र सं0 558/1सी0, दिनांक 26.05.2017 द्वारा गठित किये गये आगणन के प्राविधान एवं संस्तुतियों के आधार पर मण्डलीय अभियन्ता भारत संचार निगम देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0 DETP/DN/Nainbag-Dharasu/T-869/19 दिनांक 20.09.2017 द्वारा रोड कटिंग जार्चेज ₹ 58,58,954.00 की धनराशि चैक सं0 268672 दिनांक 16.09.2017 द्वारा इस खण्ड के पक्ष में उपरोक्त अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आगणन में उल्लेखित सम्बन्धित शर्तो के साथ ही निम्न प्रतिबन्धों के अधीन उक्त मोटर मार्ग पर ओ0एफ0सी0 लाईन बिछाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. कच्चे भाग में ओ0एफ0सी0 बिछाये जाने हेतु संयुक्त निरीक्षण में सत्यापित निर्धारित बिन्दुओं एवं मानको का पूर्णतः अनुपालन करना होगा।
2. एक साथ 150 मीटर से अधिक लम्बाई में खुदाई कार्य किये जाने की अनुमति नहीं होगी।
3. कार्यस्थल पर निर्माण के दौरान चेतावनी के बोर्ड व लाल झण्डी आदि सुरक्षा बोर्ड लगाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
4. निर्माण के दौरान के यातायात सुचारू रखना कार्यदायी संस्था की पहली प्राथमिकता एवं जिम्मेदारी होगी।
5. कल्वर्ट/पैरापिट इत्यादि की सुरक्षा संयुक्त निरीक्षण में की गयी प्राविधान/संस्तुतियों के अनुसार रखना कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी होगी।
6. कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
7. निर्माण के दौरान आगणन में लगे प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के कार्यालय – ज्ञाप संख्या 1099/10 प्रकीर्ण–उत्तराखण्ड/2016 दिनांक 22.09.2016 में उल्लिखित सम्बन्धित बिन्दुओं का पूर्णतया पालन करना होगा।
8. काजवे एवं पुल/पुलिया के ऊपर से यूटीलिटी शिफ्टिंग की अनुमति नहीं होगी।
9. निर्माण के दौरान किसी अन्य विभाग की परिसम्पतियों की क्षति की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

उपरोक्त अनुमति तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(इं0 रजनीश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
थत्यूड (टिहरी गढवाल)।

पत्रांक 1346 /1सी0 दिनांक 21/9/2017

प्रतिलिपि – 1. मण्डीय अभियन्ता टेलीकॉम प्रोजक्ट जे0 ब्लाक टाइप–।। संचार विहार इन्दरा नगर कालोनी देहरादून (उत्तराखण्ड) को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता, द्वितीय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अनुमति एवं आगणन में दिये गये प्राविधान एवं संस्तुतियो के अनुसार उक्त कार्य पर भी निगरानी रखने हेतु अपने कनिष्ठ अभियन्ताओं को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3. कनिष्ठ अभियन्ता(प्रा0) को अभिलेख हेतु।

21/09/17
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढवाल)।
21/9/17